क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

Employees' Provident Fund Organisation

Sub-Regional Office, Nasik

भविष्य निधि भवन, प्लॉट नं. पी–II, एम.आय.डी.सी., नासिक – 422 007.

Bhavishya Nidhi Bhawan, Plot No. P-II, MIDC, Satpur, Nasik-422 007.

सं. महा/भ.नि./प्रयोज्यत
No. MH/PF/APP/ 52838/1421 3509

दिनांक
Date 01/8/2005

सेवा में
To,
M/s. Monk Automation P Ltd.
L-19, Near Glamo, MIDC, Ambad,
NASHIK - 422010.

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना – ईसकी प्रयोज्यता – संकेत संख्या का आबटन।

Sub- : Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder - applicability thereof - Allotment of code number MH/NSK/ 52838. MH/NK/52838

महोदय,
Sir,

1. आपकी फैक्ट्ररी/स्थापना उसकी सभी शाखाए और विभागों के साथ दि. ———————— से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि :

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder with effect from 01/08/2005. The information made available reveals that-

1. आपकी फैक्ट्री अनुसूचि 1 में उल्लिखित उद्योग ———————————— का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (अे) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in .... one of the Industries specified in Schedule 1 to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisons Act, 1952 is applicable under section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना ———————————— के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishment classified as .... to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisons Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under section 1 (3) (b) of the Act.

2. Your establishment/factory has employed ......13...... persons on 01/08/2005

2. आपकी स्थापना/फैक्ट्री द्वारा दिनांक ———————— को ———————— कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

3. आपकी फैक्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूचि 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नही है। अतः आपकी स्थापना को अ–सूचिबध्द माना गया है।

1.क. जांच पडताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

1-A The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

1.ख. आधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं. ———————————— दि. ———————— के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप से दि. ———————— से व्याप्ति करके उसके लिए एमएच/एनके/———————————— यह संकेत संख्या नियत की गई है।

1-B With reference to your application No. ....–......... Dated 29-07-2005 received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 uner section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/NK/ 52838 .... Provisionally covering your establishment with effect from 01/08/2005 .... pending issue of notification by the Govt. of India in exercise of the power conferred on them by sub-section (4) of Section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

13. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशि निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 14–बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred percent of the arrears as provided in Section 14B of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

14. इसके अतिरिक्त देयता फी अदेनगी तथा विवरणियों की अ–प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा।

14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.

15. इस कार्यालय के निरिक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हें आवश्यक सहयोग दें। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते है, तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरिक्षक को लिख सकते है।

15. An Inspector of this Office, will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any diffculty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

श्री/श्रीमती ______________________

भविष्य निधि निरीक्षक

____

____

भवदीय,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
महाराष्ट्र तथा गोवा

Provident Fund Inspector

Shri. A.C. Pagare

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully,

Regional Provident Fund Commssioner
Maharashtra & Goa.